राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 06.04..2017

–: प्रेस– नोट :–

अभ्यर्थी श्री रोहिताश पुत्र श्री रिछपाल, निवासी झुंझुनू द्वारा अध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा, 2006 में दो आवेदन पत्र स्वयं के दस्तावेजों सहित अलग–अलग फोटो चस्पा कर स्वयं के स्थान पर अन्य व्यक्ति को परीक्षा में प्रवेश के दोषी पाये जाने के कारण आयोग के पत्रांक एफ.6(3) परीक्षा 'ग'/रालोसेआ/अध्यापक/2006–07/डिबार/रोल नं. 115567/4694 दिनांक 23.03.2009 अनुसार अभ्यर्थी को आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से सदैव के लिए विवर्जित (Debar) किया गया था।

अभ्यर्थी ने अपने उक्त डिबार किये जाने के तथ्य को छुपाते हुए पुनः वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II हिंदी विषय (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में आवेदन किया तथा उक्त परीक्षा के परिणाम दिनांक 19.09.2014 में उक्त अभ्यर्थी रोल नं. 476280, वर्ग BC,EX तथा मेरिट नं. 1618 पर चयनित एवं दिनांक 14.11.2014 को अभिस्तावित किया गया तथा संशोधित परिणाम दिनांक 15.05.2015 में एम–1663 तथा संशोधित परिणाम दिनांक 19.02.2016 में एम–1673 पर चयनित किया गया एवं पदस्थापन किया है, जो कि नियम विरूद्ध है।

अतः आयोग द्वारा उनका वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–।। परीक्षा, 2013 हिन्दी विषय हेतु किया गया नवीनतम मेरिट क्रमांक एम–1673 पर चयन रदद् करते हुए नियुक्ति हेतु विभाग को प्रेषित अभिस्तावना आयोग कार्यालय के पत्र दिनांक 18.07.2016 द्वारा प्रत्याहरित कर ली गई है।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव